

सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं का वविरण नहीं कथि जाएगा प्रकाशति

स्रोत: हदिसतान टाइमस

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय ने स्पष्ट कथि कशरिषट्टरीय सुरक्षा से संबंघति पर्यावरणीय मंजूरी प्रापूत परयिोजनाओं का वविरण इसके परविश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ।

- परयिोजना का प्रसंस्करण **PARIVESH 2.0** के माध्यम से होगा कति सुरक्षा-संबंधी परयिोजनाओं का वविरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और सार्वजानकि रूप से यह अप्राप्य होगा ।
- वर्ष 2023 में संशोधति वन संरक्षण अधनियम, 1980, के अंतरगत वशिषिट परयिोजनाओं को वन मंजूरी प्रापूत करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई जो नमिनवत है:
 - अंतरराषट्टरीय सीमाओं अथवा नयितरण रेखा/वास्तवकि नयितरण से 100 कमी. के भीतर स्थति राषट्टरीय महत्त्व की रणनीतकि अनुरेखीय परयिोजनाएँ (सड़क, रेल इत्यादी) ।
 - 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि से संबंघति सुरक्षा संबंधी आधारकि संरचना परयिोजनाएँ ।
 - वामपंथी उगरवाद (LWE) प्रभावति ज़िलों में 5 हेक्टेयर वन भूमि से संबंघति सुरक्षा संबंधी और जनोपयोगी संबंधी आधारकि संरचना परयिोजनाएँ ।
 - सड़क/रेल सुवधियों तक कनेक्टविटी सुनश्चिचति करने हेतु 0.1 हेक्टेयर की वन-भूमि की आवश्यकता वाली परयिोजनाएँ ।
- परविश 2.0, वेब-आधारति एप्लीकेशन है जसिका उपयोग पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय वनियमन कषेत्रों के लयि मंजूरी प्रापूत करने हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव करने और उनको ट्रैक करने के लयि कथि जाता है ।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और समाधान करने के लिये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरुआती चरणों में किया गया एक अध्ययन है।



- ⊖ **वैधानिक स्थिति:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EIA को अनिवार्य बना दिया गया)
- ⊖ **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- ⊖ **परियोजना वर्गीकरण:** वर्ष 2006 की EIA अधिसूचना में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है:
 - ⊖ **A-श्रेणी प्रोजेक्ट:** MoEF&CC से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता
 - ⊖ **B-श्रेणी प्रोजेक्ट:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से पूर्व EC की आवश्यकता।
 - **B1-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता अनिवार्य है)
 - **B2-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता नहीं है)

प्रोजेक्ट्स की 39 श्रेणियाँ हैं, जिनके लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ये EIA के अधीन हैं।

EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया

चरण	उद्देश्य	द्वारा किया गया
<ul style="list-style-type: none"> ■ स्क्रीनिंग ■ स्कोपिंग ■ सार्वजनिक परामर्श ■ प्रोजेक्ट्स की समीक्षा ■ निर्णय लेना ■ निगरानी (EC के बाद) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EIA की आवश्यकता ■ EIA के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है ■ प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान करता है ■ अंतिम EIA रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की जाँच ■ पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करना ■ सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन 	<ul style="list-style-type: none"> ■ राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) (श्रेणी-B) ■ EAC के साथ MoEF&CC द्वारा मानक संदर्भ अवधि (ToR) तैयार की गई/श्रेणी-B प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC ■ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/UT प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UTPCB) ■ श्रेणी A प्रोजेक्ट्स के लिये EAC और श्रेणी B1 प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC ■ श्रेणी A: MoEF&CC ■ श्रेणी B: राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA) ■ SPCB / UTPCB और क्षेत्रीय कार्यालय

EC के लिये सरकारी पहल

- ⊖ **परिवेश (परिवेश इंटरएक्टिव और सदाचारी पर्यावरण सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन):** EC के लिये सिंगल विंडो सिस्टम
- ⊖ **MoEF&CC और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित।
- ⊖ **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS):** पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी एकत्र करना, एकत्रण, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और प्रसारित करना।
- ⊖ **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा:** मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 को परिवर्तित करने के लिये MoEF&CC द्वारा प्रकाशित।



Drishti IAS

और पढ़ें: [पर्यावरणीय प्रभाव आकलन](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/non-publication-of-details-of-security-projects>

